रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 385] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 1985/भाद्र 8, 1907
No. 385] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 1985/BHADRA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1985

अधिसूचना

सं. 277/85—सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 694(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क, अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग) का अधिसूचना सं. 117–सीमा-शुल्क (सा. का. नि. सं. 318-अ), तारीख 9 जून, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पहली अनुसूची में, क्रम सं. 141 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	माल का वर्णन	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का शीर्ष सं.
"142.	पेन प्वाईंट मिश्र धातु (निब प्वाईंट)	98.03/09" ।

[फा. सं. 602/10/85–डी बी के]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th August, 1985

NOTIFICATION

No. 227/85-CUSTOMS

G.S.R 694(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue)No. 117-Customs [No. GSR 318(E)] dated the 9th June, 1978, namely :—

In the First Schedule to the said notification, after S. No. 141 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely :—

S.No.	Description of goods	Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975
"142	Pen Point Alloy (nib points)	98.03/09".

[F. No. 602/10/85—DBK]

अधिसूचना

सं. 278/85–सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 695(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग) क अधिसूचना सं. 117–सीमाशुल्क (सा. का. नि. सं 318-अ), तारीख 9 जून, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करत है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पहल अनुसूच में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंग, अर्थात् :—

क्रम सं.	माल का वर्णन	स मा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 क. पहल अनुसूच का शीर्ष
"1.	हाथ दांत, अविनिर्मित, बुरुश बनाने के प्राणि लोम या बाल।	05.01/15"।

[फा.एसं. 605/2/85–डं ब के]

एस. के. राय, उप सचिव

NOTIFICATION

No. 278/85-CUSTOMS

G.S.R. 695(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 117-Customs [No. GSR 318(E)] dated the 9th June, 1978, namely :—

In the said notification, in the First Schedule, for S. No. 1 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely :—

S.No.	Description of goods	Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975
"1.	Ivory, unmanufactured; animal brush making bristles or hair.	05 01/15".

[F. No. 605/2/85—DBK]

S.K. ROY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985